भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 272
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

रीमोट वोटिंग मशीन

272. श्री के. सुब्बारायण :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
श्री एंटो एन्टोनी :
श्री गौरव गोगोई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग ने एक प्रोटोटाइप बहु-निर्वाचन क्षेत्र दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की है और इसे देश में आगामी चुनाव में शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या मशीनों में एक दूरस्थ बूथ से कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभालने की क्षमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश के प्रवासी मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतदान मशीन (आरवीएम) का प्रदर्शन करने और उस पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और मतदाताओं से चुनाव प्रक्रिया में विधायी परिवर्तनों के लिए विचार मांगे थे ;
(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ;
(ङ) क्या आरवीएम शुरू करने से फर्जी मतों में वृद्धि होगी और यदि हां, तो पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की वास्तविक पहचान किस प्रकार करेंगे ; और
(च) क्या अनिवासी भारतीय मतदाताओं के उपयोग के लिए आरवीएम का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सूचित किया है कि ईसीआई तथा ईसीआई की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन के अधीन मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लिमिटेड (ईसीआईएल) ने बहु-निर्वाचन क्षेत्र दूरस्थ इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है । इसके अतिरिक्त, ईसीआई ने सूचित किया है कि उन्होंने देश में आने वाले निर्वाचन के लिए आरवीएम को आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं दिया है ।

(ख) : ईसीआई ने सूचित किया है कि मशीनों में एक दूरस्थ बूथ से कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभालने की क्षमता है ।

(ग) से (घ) : ईसीआई ने तारीख 28 दिसंबर, 2022 को सभी राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दलों को दूरस्थ वोटिंग का प्रयोग करके प्रवासी घरेलू कामगारों की मतदान में भागीदारी सुधारने पर एक संकल्पना टिप्पण परिचालित किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 'प्रवासी मतदाता' को परिभाषित करने, क्षेत्रीय संकल्पना पर ध्यान देने, दूरस्थ मतदान और मतों की गणना की पद्धति,

आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन, मुक्त और ऋजु मतदान सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित वातावरण तैयार करने तथा ऐसे ही विषय सम्मिलित हैं । तत्पश्चात्, 16 जनवरी, 2023 को राजनैतिक दलों के साथ एक परिचर्चा की गई । ईसीआई ने संकल्पना टिप्पण में अंतर्विष्ट विभिन्न विधिक, प्रशासनिक और प्रौद्योगिकी तथा उसके अतिरिक्त मुद्दों पर 28 फरवरी, 2023 तक राजनैतिक दलों के लिखित दृष्टिकोण/टिप्पणियां मांगी है ।

(ङ) : ईसीआई ने सूचित किया है कि आरवीएम को आरंभ करने से मिथ्या मतों में वृद्धि नहीं होगी । ईसीआईएल द्वारा विकसित प्रोटोटाइप आरवीएम तकनीकी विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन के अधीन विद्यमान ईवीएम पर आधारित एक मजबूत तथा स्वचलित प्रणाली है । स्वतंत्र रूप से विभिन्न कानून जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, निर्वाचन संचालन नियम, आदि और ईसीआई के विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता की पहचान की संपुष्टि/वास्तविकता का सत्यापन हो ।

(च) : ईसीआई ने सूचित किया है कि आरवीएम को अनिवासी भारतीय मतदाताओं के प्रयोग के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

****